



# राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान.....  
 वनाम.....  
 नम्बर व तारीख

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

अतः चूंकि जब अदालत भातहत में श्रुत वाद ही खारिज हो चुका है तो वाद से संबंधित प्रत्येक पक्ष 212 की अपील स्वतः ही खारिज होने के कारण से खारिज की जाती है परन्तु जिले के अदालत में, दफतर दाखिल हो नम्बर के कम हो।

निर्णय खुले आदालत में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी  
 सवाई माधोपुर